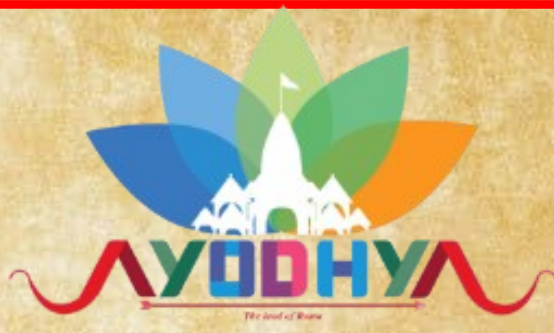




श्री योगी आदित्यनाथ
मा. मुख्यमंत्री, उ०प्र०

मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना के अंतर्गत
अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित
वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना, फेज-1
(चतुर्थ चरण)

फिरोजपुर उपरहार, लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग-27



पंजीकरण पुरितका

ऑनलाइन पंजीकरण की तिथि - दि.: 13.08.2026 से 14.09.2026

पंजीकरण हेतु योजना की
वेबसाइट -

<https://vashishtkunj.ayodhyada.in>
पर जायें।

आवेदन प्रक्रिया

या

स्कैन करें



राजेश कुमार मिश्रा
सचिव

अनुराज जैन
उपाध्यक्ष

राजेश कुमार
अध्यक्ष / मण्डलायुक्त, अयोध्या

अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या
चौदहकोसी परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइंस, अयोध्या (उ० प्र०)

वेबसाइट- vashishtkunj.ayodhyada.in | ई-मेल- vcafd@gmail.com | हेल्पलाइन नं०: 7388898904

वशिष्ट कुंज फेज-1, आवासीय योजना, लखनऊ-अयोध्या राष्ट्रीय राजमार्ग-27, अयोध्या

1. परियोजना की प्रमुख स्थलों से दूरी

- ❖ श्री रामजन्म भूमि मन्दिर से 20.00 किमी०।
- ❖ महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से 12.00 किमी०।
- ❖ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन से 12.00 किमी०।

2. परियोजना के विशेष आकर्षण

- ❖ योजना लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर प्रस्तावित भव्य श्री राम प्रवेश द्वार के समीप है।
- ❖ योजना पर्यटन विभाग द्वारा 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर विकसित किये जा रहे गेट कॉम्पलेक्स एवं टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेन्टर के निकट है।
- ❖ योजना में 18मी०, 24मी० एवं 36मी० चौड़ी सड़कों का भी प्राविधान किया गया है।
- ❖ योजना में एस०टी०पी० (सीवरेज ट्रीटमेंट प्लान्ट) विद्युत सबस्टेशन, पार्क, ग्रीन बैल्ट, ओवर हैड टैंक, नियमित जलापूर्ति इत्यादि का प्राविधान किया गया है।
- ❖ योजना के अन्तर्गत अस्पताल, स्कूल, पुलिस चौकी, कम्यूनिटी सेंटर इत्यादि का प्राविधान किया गया है।
- ❖ योजना में कॉमर्शियल शॉपिंग कॉम्पलेक्स, होटल एवं ग्रुप हॉउसिंग के भू-खण्ड का भी प्राविधान किया गया है।
- ❖ संलग्न ले-आउट के अनुसार बाउण्ड्रीवॉल एवं गेट का प्राविधान किया गया है।

3. आवेदन/पंजीकरण की पात्रता एवं अवधि

- ❖ पंजीकरण की अवधि:- 13.08.2026 से 14.09.2026 तक
- ❖ पंजीकरण हेतु पात्रता:-
 - आवेदक की उम्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
 - आवेदक को भारत का नागरिक होना अनिवार्य है तथा अप्रवासी भारतीय (NRI) भी आवेदन कर सकते हैं।
 - आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी भी सदस्य के पास उत्तर प्रदेश में किसी भी विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद/अन्य सरकारी विभाग द्वारा एक से अधिक आवासीय भवन/भूखण्ड आवंटित नहीं होना चाहिए।
 - आवेदक व उसके परिवार के पास अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित कोई भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

4. भूखण्डों का विवरण

क्र० सं०	भूखण्डों का श्रेणी	भूखण्डों की संख्या	भूखण्ड की माप	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मी०)	भूखण्ड दर (प्रति वर्ग मी०)	अनुमानित मूल्य	पंजीकरण धनराशि (10%)
1.	HIG- II	17	10 X 20	200.00	39107.20	7821440.00	782144.00
2.	HIG- I	15	9 X 18	162.00	39107.20	6335367.00	633537.00
3.	MIG- III	11	7.5 X 15	112.50	39107.20	4399560.00	439956.00
4.	MIG- II	3	6 X 15	90.00	39107.20	3519648.00	351965.00
5.	MIG- I	3	6 X 12.5	75.00	39107.20	2933040.00	293304.00
6.	LIG- II	6	5 X 12	60.00	38145.25	2288715.00	228872.00
7.	LIG- I	13	5 X 10	50.00	38145.25	1907263.00	190727.00
8.	EWS	5	4 X 9	36.00	35259.40	1269339.00	126934.00
कुल भूखण्डों की संख्या—		73*					

*नोट—उपरोक्त रिक्त भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के अंतर्गत सभी वर्गों के आवेदकों हेतु उपलब्ध है। भूखण्डों की संख्या में आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।

- ❖ भू-खण्डों का मूल्य अनुमानित है। विकास कार्य पश्चात भू-खण्ड के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर धनराशि देय होगी।
- ❖ आवंटी को कार्नर सम्पत्ति पर 05 प्रतिशत, पार्क फेसिंग में 05 प्रतिशत तथा 18 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर 05 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी सम्पत्ति में तीनों गुण हैं तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 12 प्रतिशत अधिक देय होगा।
- ❖ भूखण्ड मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री होल्ड चार्ज रजिस्ट्री के समय अलग से देय होगा।

5. आवेदन की प्रक्रिया

5.1 आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन करने हेतु अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी, योजना की वेबसाइट <https://vashishtkunj.ayodhya.in> पर जायें।

5.2 लॉटरी में प्रतिभाग करने हेतु देय धनराशि—

5.2.1	आवेदन शुल्क (नॉन-रिफण्डेबल)	1000 रुपये (जी०एस०टी० सहित)
5.2.2	पंजीकरण धनराशि (रिफण्डेबल)	भूखण्ड के अनुमानित मूल्य का 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग हेतु। नोट— लॉटरी में भूखण्ड आवंटित न होने की दशा में लॉटरी की तिथि से 30 दिवस के अन्दर जमा पंजीकरण धनराशि बिना ब्याज के वापस लौटा दी जायेगी।

- 5.3** एलआईजी श्रेणी के आवेदकों की आय रुपये 3.00 लाख से 6.00 लाख तक प्रतिवर्ष होनी चाहिए। इस श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
- 5.4** ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदकों की आय रुपये 3.00 लाख तक प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस श्रेणी के आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
- 5.5** दर्शाये गए भूखण्डों की संख्या अनुमानित है जो घट-बढ़ सकती है।
- 5.6** आवंटन में शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- 5.7** आवेदन फार्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेंगे—
- 5.7.1** आवेदक/आवेदकों की फोटो
 - 5.7.2** आधार कार्ड
 - 5.7.3** पैन कार्ड
 - 5.7.4** स्कैन हस्ताक्षर
 - 5.7.5** आय प्रमाण पत्र — ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के आवेदकों को
 - 5.7.6** पंजीकरण पुस्तिका में दिये गये प्रारूपों पर शपथ पत्र।
- 5.8** लॉटरी से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची योजना की वेबसाइट <https://vashishtkunj.ayodhya.in> पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है, तो आवेदक लॉटरी हेतु निर्धारित तिथि से एक दिवस पूर्व कार्यालय की अधिकारिक ई-मेल vcafda@gmail.com से सम्पर्क कर त्रुटि दूर करा सकते हैं।
- 5.9** आवेदक जिस नाम से आवेदन कर रहा है, उसी नाम से संचालित बैंक खाते का विवरण पंजीकरण प्रपत्र में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाए। पंजीकरण हेतु केवल भारत में स्थित बैंक खाते का विवरण ही मान्य होगा, एन.आर.ई. (NRE) खाते का विवरण स्वीकार्य नहीं होगा।
- 5.9.1** आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में नाम व पता पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अधूरे भरे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
 - 5.9.2** पंजीकरण हेतु आवेदन एकल या संयुक्त नामों (पति एवं पत्नी) से किया जा सकता है।
 - 5.9.3** शासनादेश के अनुक्रम में भूखण्डों का निबन्धन पति-पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से किए जाने की व्यवस्था है। अतः विवाहित आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में संयुक्त रूप से आवेदन किया जा सकता है।
 - 5.9.4** संयुक्त नाम से प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों में दोनों आवेदकों के स्कैन हस्ताक्षर अपलोड किये जायेंगे।

- 5.10** यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लॉटरी की तिथि से पूर्व जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति प्रार्थना/शपथ पत्र के आधार पर उसका पंजीकरण निरस्त करते हुए, जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 5.11** लॉटरी में चयनित आवेदकों को सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसके अनुसार समस्त अभिलेख एवं शपथ पत्र (**मूल रूप में**) कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। यदि प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अभिलेख जमा नहीं किये जाते हैं, तो नियमानुसार आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 5.12** आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 24 माह के अन्दर आवंटी को भूखण्ड का सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के उपरान्त निबंधन करा दिया जायेगा एवं तदोपरान्त कब्जा दिया जायेगा।
- 5.13** निबंधन इत्यादि में आने वाला समस्त व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।
- 5.14** **तथ्यों को छिपाना** – यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य पाया जाता है या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई गई है, तो उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या को यह अधिकार होगा कि आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा। इसके लिए अन्य कानूनी कार्यवाही जो प्राधिकरण उचित समझे, की जा सकती है।
- 5.15** मात्र पंजीकरण से आवेदक को आवंटन का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

6. आवंटन

6.1 भूखण्डों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। लॉटरी की तिथि की सूचना समाचार पत्रों, वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से दी जायेगी।

आवंटन हेतु लॉटरी निम्न वरीयताओं के आधार पर करायी जायेगी।

- 6.1.1 प्रथम वरीयता:** ऐसे आवेदकों को दी जायेगी जो आवंटन पत्र निर्गत किये जाने की तिथि से तीन माह (90 दिन) के अन्दर पूर्ण भुगतान करने का शपथ-पत्र (एफिडेविट) देंगे। उक्त अवधि में सम्पूर्ण धनराशि न जमा करने की दशा में आवंटन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- 6.1.2 द्वितीय वरीयता:** किशतों में धनराशि जमा करने वाले आवेदकों को दी जायेगी। किशतों में धनराशि जमा करने का विकल्प चुनने वाले आवेदकों को आवंटन पत्र निर्गत होने के 30 दिवस के अन्दर 20 प्रतिशत धनराशि (पंजीकरण शुल्क समायोजित करते हुये) अनिवार्य रूप से देना होगा। शेष 80 प्रतिशत धनराशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित/8 त्रैमासिक किशतों में देय होगी। देय धनराशि की किशतें समय से जमा न किये जाने की स्थिति में नियमानुसार विलम्ब ब्याज 15 प्रतिशत पृथक् रूप से देय होगा। यदि आवेदक द्वारा देय त्रैमासिक किशत में 06 माह से अधिक विलम्ब किया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा तथा सम्पूर्ण धनराशि का 25 प्रतिशत तथा दण्ड ब्याज की कटौती करते हुए शेष धनराशि बिना ब्याज के आवेदक को वापस कर दिया जाएगा।

- 6.2** किशतों में आवंटित भूखण्ड के आवंटों यदि कुछ किशतें जमा करने के बाद एक मुश्त भुगतान करना चाहें तो उसकी अनुमति होगी, लेकिन एक मुश्त भुगतान के आधार पर आवंटन प्राप्त करने वाले आवंटों को किशतों में भुगतान की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 6.3** यदि उ0प्र0 का कोई आवेदक सामान्य रूप से विकलांग श्रेणी में आता है तो उसे 10 प्रतिशत एवं गम्भीर रूप से विकलांग श्रेणी में आता है तो उसे 20 प्रतिशत की रियायत आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के परीक्षण के उपरान्त आवंटन धनराशि में छूट प्रदान किया जायेगा।
- 6.4** लॉटरी का परिणाम अयोध्या विकास प्राधिकरण की वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना फेज-1 की वेबसाइट <https://vashishtkunj.ayodhyada.in> पर 03 दिवस में प्रदर्शित किया जायेगा।
- 6.5** लॉटरी में चयनित होने के पश्चात् निर्धारित समय-सीमा में मूल अभिलेख कार्यालय में जमा करने के उपरान्त अधिकतम 01 माह में आवंटन/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राधिकरण की वेबसाइट <https://vashishtkunj.ayodhyada.in> से डाउनलोड की जा सकेगी।
- 6.6** यदि कोई आवेदक एक मुश्त भुगतान प्रणाली में चयनित होने के उपरान्त निर्धारित धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व आवंटन निरस्त करने हेतु प्रार्थना/शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, तो जमा पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुये, शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 6.7** यदि कोई आवेदक एक मुश्त भुगतान प्रणाली में चयनित होने के उपरान्त निर्धारित धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् पंजीकरण धनराशि वापस करने का प्रार्थना/शपथ पत्र देता है तो वह मान्य नहीं होगा तथा आवंटन निरस्त करते हुए सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
- 6.8** यदि कोई आवेदक एक मुश्त भुगतान प्रणाली में चयनित होने के उपरान्त निर्धारित समयावधि के भीतर आवंटन धनराशि जमा नहीं करता है, तो उसका आवंटन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में जमा की गई पंजीकरण धनराशि प्राधिकरण को हुई प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षति की पूर्ति के रूप में जब्त कर ली जाएगी।
- 6.9** यदि कोई आवेदक किशत प्रणाली में चयनित होने के उपरान्त निर्धारित धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने हेतु प्रार्थना/शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, तो जमा पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुये शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 6.10** यदि कोई आवेदक किशत प्रणाली में चयनित होने के उपरान्त निर्धारित धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि से पश्चात् पंजीकरण निरस्त करने हेतु प्रार्थना/शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, तो जमा पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत एवं आवंटन पत्र में अंकित ब्याज की कटौती उपरान्त, शेष धनराशि वापस की जायेगी।
- 6.11** आवंटों द्वारा आवंटन पश्चात् निरस्तीकरण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है तो उसके साथ ₹20 (बीस रुपये) के स्टाम्प पर विधिवत् नोटरीकृत शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

रेरा पंजीकरण संख्या - UPRERAPRJ207195/11/2024

- 6.12** सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण/आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार करने के उपरान्त वरीयता के आधार पर पृथक-पृथक लॉटरी करायी जायेगी।
- 6.13 प्रतीक्षा सूची-** लॉटरी की प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी श्रेणी के भूखण्डों में, 02 आवेदकों को प्रतीक्षा सूची में शामिल किया जाएगा। यदि किसी आवंटित भूखण्ड का निरस्तीकरण होता है, तो इन आवेदकों को उनकी वरीयता के आधार पर आवंटन में सम्मिलित किया जाएगा।
- 6.14** जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा की जायेगी।
- 6.15** विलम्बन की दशा में वांछित धनराशि जमा न करने पर सक्षम अधिकारी, विकास प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि आवंटन निरस्त कर दें।
- 6.16** आवंटी को अयोध्या विकास प्राधिकरण की अनुमति प्राप्त किये बिना भूखण्ड बन्धक रखने का अधिकार नहीं होगा।
- 6.17 कर/शुल्क आदि की देयता-**
- 6.17.1** आवंटित भूखण्ड के सम्बन्ध में भारत सरकार/उ०प्र० सरकार, नगर निगम, विकास प्राधिकरण अथवा अन्य किसी विभाग द्वारा लगाये गये समस्त कर आवंटी द्वारा देय होंगे।
- 6.17.2** योजना में भूखण्डों के निबन्धन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तगत होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उ०प्र० शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क + जी०एस०टी० का भुगतान आवंटी को करना होगा।
- 6.17.3** आवंटन धनराशि प्राधिकरण द्वारा तैयार की गयी वेबसाइट वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना <https://vashishtkunj.ayodhyada.in> पर लॉग-इन करके चालान के माध्यम से जमा की जायेगी।
- 6.17.4 टी.डी.एस. अनुपालन-** आयकर विभाग द्वारा **प्रदत्त धारा-393** के अनुसार यदि भूखण्ड का कुल मूल्य- ₹50 लाख रुपये से अधिक है, तो भूखण्ड का 99 प्रतिशत वेबसाइट पर चालान के माध्यम से एवं 1 प्रतिशत टी.डी.एस. सीधे प्राधिकरण के पैन नम्बर, फार्म- 141 के द्वारा जमा करना अनिवार्य है, जिसका विवरण-
- पैन नम्बर- AAALA0206C
 - पैन नाम- AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY
 - कार्यालय का पता - अयोध्या विकास प्राधिकरण, चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन, अयोध्या- 224001
 - परियोजना स्थल का पता- वशिष्ठ कुंज आवासीय योजना फेज-1, फिरोजपुर उपरहार, लखनऊ-अयोध्या रोड, सोहावल, अयोध्या-224188
 - प्राधिकरण ईमेल/हेल्पलाइन नम्बर- vcafa@gmail.com / 7388898904
 - टी०डी०एस० जमा करने के पश्चात् निम्नलिखित अभिलेख प्राधिकरण की ई-मेल पर आवंटन पत्र के साथ सलग्न कर भेजना अनिवार्य है-
 - 1- Income Tax Department - Challan Receipt
 - 2- Statement of deduction of tax under section-393 (Form 141)

रेरा पंजीकरण संख्या - UPRERAPRJ207195/11/2024

- 6.18** प्राधिकरण द्वारा घोषित समय में भूखण्डों की रजिस्ट्री/कब्जा देने का यथासम्भव प्रयास किया जायेगा परन्तु यदि किन्ही अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इसमें विलम्ब होता है तो आवंटी अपनी जमा धनराशि बिना किसी कटौती के वापस लेने के लिए स्वतन्त्र है, परन्तु रजिस्ट्री/कब्जे में विलम्ब के आधार पर कोई अन्यथा दावा मान्य नहीं होगा।
- 6.19** विकास कार्य/निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात अयोध्या विकास प्राधिकरण में अन्य प्रचलित शर्तें, नियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा इनमें किये गये संशोधन/परिवर्तन/परिवर्धन लागू एवं मान्य होंगे।
- 6.20** किसी भी प्रकार के विवाद का परिक्षेत्र अयोध्या होगा।
- 6.21** भूखण्डों की स्थिति क्षेत्रफल एवं मूल्य प्रोविजनल है विकास कार्यों के निष्पादन के फलस्वरूप इनमें परिवर्तन हो सकता है।
- 6.22** यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसको आवंटित भूखण्ड उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, हस्तान्तरित कर दिया जायेगा।
- 6.23** सम्पत्तियों का आवंटन "जहां है जैसे है" के आधार पर किया जायेगा।
- 6.24** समस्त भूखण्डों का आवंटन उपरोक्तानुसार लॉटरी द्वारा किया जायेगा तथा चयन सूची में किसी व्यक्ति की किसी विशिष्ट भूखण्ड की माँग को स्वीकार नहीं की जायेगा।
- 6.25** पंजीकृत व्यक्ति को रजिस्ट्री के पूर्व अपने पंजीकरण के हस्तांतरण का अधिकार नहीं होगा। केवल पंजीकृत व्यक्तियों की मृत्यु के उपरान्त उसके परिवार के खून के रिश्ते जैसे— भाई—बहन, माता—पिता, पुत्र—पुत्री को निःशुल्क हस्तांतरण किया जा सकता है।
- 6.26** आवंटी द्वारा भूखण्ड की समस्त धनराशि की अदायगी कर दिये जाने और उसके पक्ष में विधिवत रजिस्ट्री हो जाने पर उसे ऐसे भू-खण्ड, किसी के पक्ष में बेचने/हस्तांतरण करने की स्वतंत्रता होगी, उसके लिए किसी प्रकार के अनापत्ति पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- 6.27** पंजीकरण पुस्तिका में किसी भी तरह के संशय की स्थिति में, उपाध्यक्ष अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम माना जायेगा।
- 6.28** पंजीकरण पुस्तिका में किसी भी लिपिकीय त्रुटि को संशोधित करने का पूर्ण अधिकार उपाध्यक्ष, अयोध्या विकास प्राधिकरण अयोध्या में निहित है।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं व जहां-जहां वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे—

परिवार

परिवार का आशय पति—पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री से हैं।

सम्पत्ति

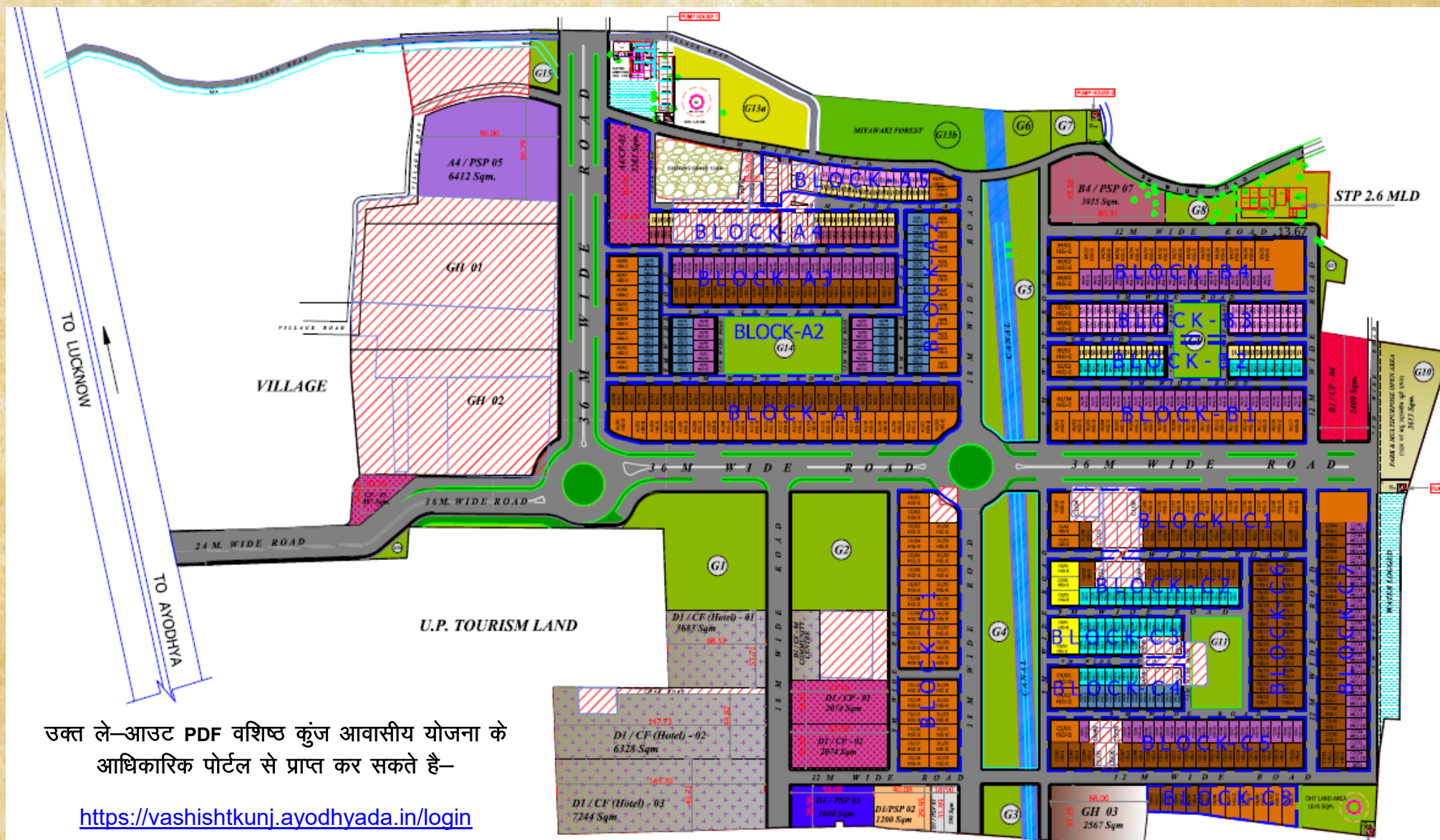
सम्पत्ति का तात्पर्य भूखण्ड से हैं।

पंजीकरण

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण खोलते हुए आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है।

नोट:— नवीनतम राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC), भारतीय मानक कोड (IS Codes) के अनुसार निर्माण, निर्माण सामग्री और विद्युत सुरक्षा के नियमों का पालन के साथ, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) के नियमों का भी ध्यान रखें।

ले-आउट प्लान





अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

शपथ पत्र का प्रारूप

(शपथ पत्र रू0 100.00 के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं/हम/श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री

आयु वर्ष, निवासी

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते है कि: —

1. मैं/हम भारत का नागरिक हूँ/हैं।
2. आवेदन की अन्तिम तिथि को मेरी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है।
3. आवेदन से सम्बन्धित समस्त अभिलेख एवं मूल रूप में शपथ पत्र लॉटरी में चयनित होने के पश्चात निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कार्यालय अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या में जमा करा दिया जायेगा।
4. मैं/हम यह पुष्टि करता/करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, या अन्य किसी सरकारी विभाग से मेरे/हमारे किसी भी परिवार सदस्य को एक से अधिक आवासीय भवन, भूखण्ड या प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है।
5. मैं/हम यह पुष्टि करता/करते हैं कि अयोध्या में अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या द्वारा कोई भी आवासीय भवन, भूखण्ड या प्लॉट आवंटित नहीं किया गया है।
6. मैं/हम आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूंगा/करूंगी/करेंगे, यदि मेरे/हमारे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है, तो प्राधिकरण को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा धनराशि जब्त कर लें।
7. यदि भूमि अर्जन के प्रतिकर के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेश द्वारा अथवा अन्य किसी न्यायिक प्रक्रिया में अपरिहार्य कारण से आवंटित भू-खण्ड के मूल्य में वृद्धि होगी तो मैं उसका निर्धारित नियमों के अनुरूप भुगतान करूंगा/करूंगी।
8. मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूंगा/करूंगी। यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं प्राधिकरण उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।
9. आवेदन पत्र में मेरे द्वारा जो तथ्य दर्शाये गये हैं वो सत्य हैं।

हस्ताक्षर



अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या



अयोध्या विकास प्राधिकरण
AYODHYA DEVELOPMENT AUTHORITY

एकमुश्त भुगतान हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

(केवल एकमुश्त भुगतान के विकल्प का चयन करने वाले आवेदकों के लिए)

(शपथ पत्र रू0 100.00 के जनरल स्टैम्प पर नोटरी द्वारा प्रमाणित हो)

मैं/हम/श्री/श्रीमती

पुत्र/पुत्री/पत्नी/श्री

आयु वर्ष, निवासी

शपथ पूर्वक यह बयान करता/करती हूँ/करते हैं कि: —

1. मैं/हमने एकमुश्त भुगतान के विकल्प का चयन किया है।
2. मैं/हम भलीभांती अवगत है कि एकमुश्त भुगतान का चयन करने पर सम्पूर्ण देय धनराशि आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिवस के अन्दर प्राधिकरण में जमा करा दिया जायेगा।
3. यदि निर्धारित समयाविधि में उक्त धनराशि मेरे/हमारे द्वारा जमा नहीं करायी जाती है, तो प्राधिकरण आवंटन निरस्त करते हुये पंजीकरण धनराशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षर

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / भुगतान जानकारी के लिए सम्पर्क करें—

योजना से सम्बन्धित सहायता हेतु	पुरुषोत्तम श्रीवास्तव मो0— 7388898904
वेबसाइट से सम्बन्धित, किसी तकनीकी समस्या हेतु	आलोक सिंह (आई.टी. सलाहकार) मो0— 8765367506
भुगतान सम्बन्धित समस्या हेतु	मो. शकील (एच.डी.एफ.सी. बैंक) मो0— 8896071446

प्रमुख सम्पर्क सूत्र—

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति

अयोध्या विकास प्राधिकरण
मो0— 7388898901

वित्त एवं लेखाधिकारी

अयोध्या विकास प्राधिकरण
मो0— 7607772288

सचिव

अयोध्या विकास प्राधिकरण
मो0— 7388898915

उपाध्यक्ष

अयोध्या विकास प्राधिकरण
मो0— 7607778900



यू0पी0 रera प्रोजेक्ट कलेक्शन एकाउण्ट नम्बर - 99922400122401

आई0एफ0एस0सी0 कोड - HDFC0009505

(कृपया ध्यान दें, भुगतान केवल वेबसाइट पर दिये गये चालान के माध्यम से करें, सीधे बैंक खाते में जमा न करें)

**वशिष्ट कुंज फेज-1, आवासीय योजना से
सम्बन्धित शिकायतों व समस्याओं
के लिए सम्पर्क करें।**

हेल्पलाइन नम्बर: +91- 7388898904

(प्रत्येक कार्यदिवस में प्रातः 10:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक)

WhatsApp: +91- 7388898904

Website- <https://vashishtkunj.ayodhyada.in> | E-mail: vcafda@gmail.com



अयोध्या विकास प्राधिकरण

परिक्रमा मार्ग, सिविल लाइन्स, अयोध्या।